न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 212/2018 (2018/00306)

पवन कुमार पुत्र भूरा जाति दरोगा निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

———प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

——— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 16.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थी उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम बघेरा** की जमाबन्दी संवत **2069—72** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
866—856	1372	1.05	बारानी 3
	1379	0.01	गै.मु.चाह
	कुल किता 2	कुल रकबा 1.06है.	

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा प्रार्थी के ही कब्जे काश्त स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है तथा प्रार्थी व मौके पर पडोसियों में सीमा विवाद के कारण आपस में झगडा फसाद होने का अंदेशा बना रहता है। उपरोक्त वाद वर्णित आराजीयात के स्थाई चिन्ह व पत्थरगढी नहीं होने से आये दिन प्रार्थी की आराजीयात में पडोसियों द्वारा घुसकर हाक चौक देते है, मेड तोड देते है। आये दिन उपरोक्त आराजीयात की सीमा बाबत प्रार्थी एंव पडोसियों के मध्य विवाद होता रहता है। दिनांक 10.6.2018 को प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजीयात को हांकने गया तो प्रार्थी की आराजीयात के पडौसियों द्वारा लडाई झगडा करने लग गयें एंव प्रार्थी को हाकने चौकने नहीं दिया तथा झगडा फसाद करने लग गये इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है , तथा आये दिन प्रतिदिन विवाद होता रहता हैइसलिये वाद वर्णित आराजीयात पर स्थाई पत्थरगढी व सीमा चिन्ह लगाये जाने का आदेश किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.17 13:53:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। पेरोकार सरकार द्वारा को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार को सुना गया । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी की खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम बघेरा की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 866–856 खसरा नम्बर 1372 रकबा 1.05 है. किस्म बारानी 3 एंव खसरा नम्बर 1379 रकबा 0.01 है. किस्म गै.मु. चाह की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 16.12.2021 को केम्प बघेरा मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.17 13:53:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner